भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/ 29 आषाढ़, 1948 (शक)

सीधी और सिंगरौली जिलों में असंगठित श्रमिकों का कल्याण

84. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीधी और सिंगरौली जिलों में ई-श्रम पोर्टल पर अब तक पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी योजनाओं के लाभ प्राप्त हो रहे हैं और यदि हां, तो लाभार्थियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सिंगरौली जिले जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के आवास और स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सिंगरौली जिले में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल या औषधालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। ई-श्रम पोर्टल, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों का पंजीकरण करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल पर 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसमें सीधी जिले में 4.29 लाख से अधिक और सिंगरौली जिले में 3.89 लाख से अधिक पंजीकरण शामिल हैं।

सीधी और सिंगरौली जिलों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का विवरण संलग्न है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के संबंधी बजट घोषणा 2024-25 के विजन के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की थी। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के तहत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और उन तक पहुँच प्रदान करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएमजी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, ई-श्रम, नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) से, कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब से, पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अभिसरण पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 में अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को रोजगार देने वाले कतिपय स्थापनों के पंजीकरण और ठेकेदारों के लाइसेंसिंग का प्रावधान किया गया था। ऐसे स्थापनों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय आवास, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि प्रदान किए जाने थे।

इस अधिनियम को अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा (ओएसएच) संहिता, 2020 में शामिल कर लिया गया है। उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता प्रवासी कामगारों सहित संगठित और असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों को गरिमापूर्ण कार्य दशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, टोल फ्री हेल्पलाइन, यात्रा भत्ता, दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत संरक्षण और पात्रता की देशव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) के साथ, ये संहिताएं कामगारों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखती हैं।

प्रवासी कामगारों के लिए लागू उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता के प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले उस स्थापन के कार्य के संबंध में प्रत्येक ठेकेदार स्थापन के नियोक्ता का यह कर्तव्य होगा कि–

(क) ऐसे कामगार के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काम की उपयुक्त परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना, कि उसे अपने राज्य से भिन्न राज्य में काम करना आवश्यक है;

(ख) ऐसे किसी कामगार की घातक दुर्घटना या गंभीर शारीरिक चोट के मामले में, दोनों राज्यों के निर्दिष्ट अधिकारियों और कामगार के निकटतम संबंधी को भी सूचित करना;

(ग) ऐसे कामगार को वे सभी लाभ प्रदान करना जो उस स्थापन के किसी कामगार को उपलब्ध हैं, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत मिलने वाले लाभ और धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत एक कामगार को उपलब्ध चिकित्सा जांच की सुविधा शामिल है।

(घ) नियोक्ता अपने स्थापन में नियोजित प्रत्येक अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार को एक वर्ष में उसके रोजगार के स्थान से उसके मूल स्थान तक आने-जाने की यात्रा के लिए एकमुश्त किराया राशि का भुगतान उस तरीके से करेगा जिसमें पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा, यात्रा की अवधि और श्रेणी तथा ऐसे अन्य मामलों को ध्यान में रखा जाएगा जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर की भी शुरुआत की है।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में ईएसआई अस्पताल स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश की माननीय पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह के दिनांक 26.06.2026 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो विचारण के लिए दिनांक 07.07.2026 को प्राप्त हुआ है।

सीधी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल कामगारों की संख्या 26,335 है।

*

संलग्नक

"सीधी और सिंगरौली जिलों में असंगठित श्रमिकों का कल्याण" के संबंध में डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 20.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 14.07.2026 की स्थिति के अनुसार, सीधी और सिंगरौली जिलों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का विवरण।

योजनाएं	**सीधी जिले में नामांकन**	**सिंगरौली जिले में नामांकन**
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	3,04,582	2,71,693
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	92	34
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	208	110
वन नेशन वन राशन कार्ड	3,73,992	3,50,465
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	6,449	5,617
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी	3,107	1,721
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	19,866	15,958
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	55,811	60,836
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	8,172	7,161
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	24	36
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि	2,422	4,496
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	1,25,496	1,10,850
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड (ग्रामीण) आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी.जीआरएएमजी)	75,112	51,759
